बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिनांकः– 04.10.2017. स्थान :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय का सभाकक्ष।

समयः– 04:00 बजे अपराह्न।

विषयः– अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम–प्रारूप प्रकाशन के संबंध में।

"Universal enrollment of all eligible citizens" (अर्हता प्राप्त सभी नागरिकों का पंजीकरण)

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 04.10.2017 को बिहार राज्य के सभी 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत 62780 मतदान केन्द्रों पर, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है, जो दिनांक 31.10.2017 तक प्रकाशित रहेगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	गतिविधि	अवधि
1	निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन	04.10.2017 (बुधवार)
2	दावे एवं आपत्तियों दाखिल करने की अवधि	04.10.2017(बुधवार) से 31.10.2017 (मंगलवार) तक
3	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों तथा आवासीय कल्याण संघ की बैठकों इत्यादि में फोटो मतदाता सूची के संबंधित भाग/प्रभाग का पढ़ा जाना तथा नामों का सत्यापन	11.10.2017(बुधवार) एवं 18.10.2017(बुधवार)
4	राजनैतिक दलों के मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ताओं के साथ दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के विशेष अभियान की तिथि	14.10.2017 (शनिवार) एवं 21.10.2017 (शनिवार)
5	दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन	30.11.2017 (गुरूवार) तक
6	डाटाबेस का अद्यतीकरण, छायाचित्रों की मर्जिंग, कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण	26.12.2017 (मंगलवार) तक
7	निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन	10.01.2018 (बुधवार)

(2) प्रारूप निर्वाचक सूची में निर्वाचकों की कुल संख्या निम्नवत् हैः–

10.01.2017 को अंतिम प्रकाशित सूची में निर्वाचकों की संख्या		प्रारूप सूची में निर्वाचकों की संख्या (04.10.2017)		सतत् अद्यतीकरण की अवधि में कुल वृद्धि
पुरूष	36346421	पुरूष	36782873	436452
महिला	32070788	महिला	32536566	465778
तृतीय लिंग	2119	तृतीय लिंग	2272	153
कुलः–	**68419328**	**कुलः–**	**69321711**	**902383**

प्रारूप निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के सांख्यिकी संबंधी विस्तृत विवरणी संलग्न है।

(3) (क) प्रारूप निर्वाचक सूची के आधार पर अर्हता तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में कोई भी भारतीय नागरिक जो दिनांक 01.01.2018 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, प्ररुप–6 में अपना दावा उम्र प्रमाण संबंधी वांछित दस्तावेज के साथ BLO, ERO/AERO या जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

(ख) इसी प्रकार प्रारूप निर्वाचक सूची में मृत निर्वाचक, दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों या अपने निवास स्थान पर सामान्य रूप से निवास नहीं करने वाले निर्वाचक के संबंध में प्ररूप–7 में आपत्ति BLO, ERO/AERO या जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। मृतक के संबंधी या उस मतदान केन्द्र में निवास करने वाले प्रारूप सूची में पंजीकृत निर्वाचक द्वारा या बी.एल.ओ. द्वारा प्ररूप–7 में आपत्ति दाखिल किया जा सकता है।

(ग) प्रारूप निर्वाचक सूची में पंजीकृत किसी भी निर्वाचक के नाम, लिंग, संबंध, संबंधी के नाम, उम्र, पता इत्यादि के संबंध में में सुधार हेतु प्ररूप–8 में आपत्ति BLO, ERO/AERO या जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

(घ) प्ररूप–6क निर्वाचक सूची में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण हेतु दावा एवं प्रारूप सूची में पंजीकृत निर्वाचक के अपने ही विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानान्तरण हेतु प्ररूप–8क में दावा BLO, ERO/AERO या जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

(ङ) प्ररूप, 6, 6क, 7, 8 एवं 8क में उक्त विधि से दावा/आपत्ति दाखिल करने के अतिरिक्त कोई भी नागरिक http://www.nvsp.in/ (National Voter's Services Portal) के माध्यम से भी अपना आवेदन ऑनलाईन विधि से दाखिल कर सकते हैं।

(4) निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि दिनांक 04.10.2017 से दिनांक 10.01.2018 तक पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थगित कर दियाा गया है। विशेष परिस्थिति में भारत निर्वाचन आयोग से पुर्वानुमति प्राप्त कर हीं इस कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।

(5) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में दिनांक 04.10.2017 से 31.10.2017 तक प्राप्त सभी दावे/आपत्ति का निष्पादन संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के ERO द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के Portal ERO Net के माध्यम से किया जायेगा, जो इस राज्य में दिनांक 16.08.2017 से क्रियान्वित है। ERO Net के क्रियान्वित होने के पूर्व निर्वाचक सूची संबंधी सभी कार्य State ERMS के माध्यम से किया जाता था। ERO Net भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया एक अखिल भारतीय पोर्टल है, जिस पर पूरे देश के 36 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 701 जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं 7522 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची प्रबंधन संबंधी कार्यों का अनुश्रवण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। ERO Net के माध्यम से निर्वाचक सूची की तैयारी होने से पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचक सूची का निर्माण किया जा सकता है।

(6) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2018 में निर्वाचक सूची में जनसंख्या–निर्वाचकों की अनुपात में अन्तर, युवा एवं महिला नागरिकों के पंजीकरण में वृद्धि, प्रवासी एवं दिव्यांग निर्वाचकों के पंजीकरण तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(7) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **दिनांक 11.10.2017(बुधवार) एवं दिनांक 18.10.2017(बुधवार) को सभी मतदान केन्द्र के क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा/स्थानीय निकायों तथा आवासीय कल्याण संघ की बैठक आहूत कर बैठक** में फोटो मतदाता सूची के संबंधित भाग/प्रभाग को BLO द्वारा पढ़े जाने का निदेश दिया गया है। उक्त कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहकर प्रारूप निर्वाचक सूची में अपने पंजीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार अपेक्षित दावा/आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।

(8) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **दिनांक 14.10.2017 (शनिवार) एवं दिनांक 21.10.2017 (शनिवार) को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान दिवस** आयोजित करने का तिथि निर्धारित किया गया है। उक्त तिथि को सभी BLO अपने मतदान केन्द्रों पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता(BLA) के साथ कार्यालय अवधि में प्रारूप निर्वाचक सूची एवं दावा/आपत्ति संबंधी सभी प्रारूपों के यथेष्ट संख्या के साथ उपलब्ध रहेंगे एवं नागरिकों को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे तथा प्ररूप का संग्रहण भी करेंगे।

(9) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा त्रुटिरहित निर्वाचक सूची की तैयारी में BLO का सहयोग करने हेतु सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों से सभी मतदान केन्द्रों में एक मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (BLA) की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है।

आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से इस अवसर पर अनुरोध है कि निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2018 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लक्ष्य **"Universal enrollment of all eligible citizens" (अर्हता प्राप्त सभी नागरिकों का पंजीकरण)** के प्राप्ति हेतु अपने स्तर से आम नागरिकों को व्यापक रूप से सूचित करने एवं उन्हें जागरूक करने हेतु पूर्व की भाँति सक्रिय सहयोग देने की कृपा की जाये।

-------------------- धन्यवाद --------------------